राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 968–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनाक 7–2–2014 पारित द्वारा तहसीलदार, हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 11/अ–70/08–09.

1– मुजफ्फर मोहम्मद खान आत्मज मो. रजा खान
निवासी म.नं. 4, कप्तान साहब का अहाता
जहांगीराबाद, भोपाल कृषक ग्राम चीचली
तहसील हुजूर, जिला भोपाल

2– मुशर्रफ मोहम्मद खान आत्मज मो. रजा खान
निवासी म.नं. 4, कप्तान साहब का अहाता
जहांगीराबाद, भोपाल कृषक ग्राम चीचली
तहसील हुजूर, जिला भोपाल

3– रूखसाना खान पत्नी मुशर्रफ मोहम्मद खान
निवासी म.नं. 4, कप्तान साहब का अहाता
जहांगीराबाद, भोपाल कृषक ग्राम चीचली
तहसील हुजूर, जिला भोपाल ..... आवेदकगण

विरूद्ध

कामता प्रसाद आत्मज भैरूलाल
निवासी ग्राम सलैया,
तहसील हुजूर जिला भोपाल ..... अनावेदक

श्री दिनेश सिंह चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर.एन मालवीय अभिभाषक अनावेदक

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक 13 अगस्त, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप मे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–2–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम चीचली स्थित भूमि सर्वे कमांक 76, 85, 86, 87, 88, 89 एवं 92 रकबा कमशः 1.03 हेक्टेयर, 0.38 हेक्टेयर, 0.22 हेक्टेयर, 1.09 हेक्टेयर, 0.35 हेक्टेयर, 3.05 हेक्टेयर एवं 0.75 हेक्टेयर कुल रकबा 6.87 हेक्टेयर का उसके द्वारा सीमांकन कराया गया था । सीमांकन में सर्वे कमांक 76, 85 एवं 86 के रकबा कमशः 1.03 हेक्टेयर, 0.38 हेक्टेयर एव 0.22 हेक्टेयर कुल रकबा 1.63 हेक्टेयर पर पड़ौसी कृषक आवेदक कमांक 1 का अवैध कब्जा पाया गया है । उसके द्वारा भी अवैध कब्जा माना गया है, किन्तु उन्होंने नपती कराना चाहा है, और पंचनामा पर हस्ताक्षर किए गए हैं, अतः उक्त 1.63 हेक्टेयर का कब्जा अनावेदक को दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–70/08–09 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय मे व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 13 नियम 10 के अंतर्गत सीमांकन प्रकरण कमांक 136/अ–12/2007–08 मंगाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 7–2–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक कमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया एवं प्रकरण प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन प्रकरण की आदेशिकाओं के दिनांक में भिन्नता है । यह भी कहा गया कि 50/– रूपये के चालान पर 17 एकड़ भूमि का सीमांकन करवाया लिया गया है जबकि संहिता की धारा 129 के अंतर्गत प्रत्येक सर्वे नम्बर के लिए पृथक–पृथक 50/– रूपये शुल्क जमा करना चाहिए था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन में अनावेदक की भूमि

आवेदक कमाक 1 की भूमि म निकाली गई है, परन्तु सीमांकन में आवेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, और उनके पीठ पीछे सीमांकन किया गया । तर्क मे यह भी कहा गया कि तहसीलदार को सीमांकन प्रकरण बुलाना चाहिए था ताकि आवेदकगण सीमांकन प्रकरण के आधार पर प्रतिपरीक्षण कर सकते, परन्तु प्रकरण नहीं बुलाने मे अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार के सीमांकन प्रकरण मे फोटो प्रतियां संलग्न है, जबकि मूल प्रकरण बुलाना चाहिए था । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–8–2013 के विरूद्ध आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया गया है, जो लंबित है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष सीमाकन प्रकरण वर्ष 2007 मे प्रचलित हुआ है, परन्तु त्रुटिवश 18–10–2008 की तिथि अंकित हो गई है । इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 20–8–2013 को आदेश पारित कर निष्कर्ष निकाला जा चुका है । यह भी कहा गया कि सीमांकन आदेश के विरूद्ध 7 वर्षो तक कोई निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन पंचनामा में आवेदक कमांक 1 द्वारा टीप अंकित की जाकर हस्ताक्षर किये गये हैं, और सूचना पत्र में भी उसके हस्ताक्षर हैं, अतः उनका यह तर्क अभिलेख से परे है कि सीमांकन में उन्हें सूचना नहीं दी गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन को चुनौती नहीं दी जा सकती है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि निगरानी मेमों में पुनर्विलोकन प्रस्तुत किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है । तर्कों के समर्थन में 2013 आर.एन. 277, 2005 आर.एन. 178 एवं 1998 आर.एन. 192 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए ।

5/ प्रत्युत्तर में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा कहा गया कि सीमांकन पचनामा मे आवेदक कमांक 1 के हस्ताक्षर नहीं हैं ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदकगण की ओर से तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण मे सीमांकन प्रकरण बुलाये जाने संबधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । इस संबंध मे 2013 आर.एन. 277 मुरलीधर तथा एक अन्य विरूद्ध

राजस्व मण्डल तथा अन्य मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

"धारा 250 तथा 129–सीमांकन मे सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं–प्रथक कार्यवाही में आक्षेपित नहीं किया गया–अंतिमता प्राप्त–धारा 250 के अधीन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है ।"

इसी प्रकार 2005 आर.एन. 178 में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:–

"धारा 129 तथा 250–धारा 250 के अधीन कार्यवाही सीमांकन का मामला धारा 129 के अधीन पूर्व में विनिश्चित–इसमें आक्षेपित नहीं किया जा सकता है ।"

1998 आर.एन. 192 बिरझूराम विरूद्ध बिसेसर में भी निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:–

"धारा 129 तथा 250–आवेदक को सीमांकन कार्यवाही की सूचना सम्यक रूप से दी गई किंतु वह अनुपस्थित रहा–धारा 250 के अधीन कार्यवाही में सीमांकन पर आपत्ति नहीं कर सकता ।"

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन प्रकरण बुलाये जाने संबंधी आवेदक कमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा सीमाकन प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष निकाला जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। यदि आवेदकगण सीमांकन से व्यथित थे, तब उन्हें समय रहते सीमांकन आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देना चाहिए थी, परन्तु आवेदकगण संहिता की धारा 250 के प्रकरण मे अपरोक्ष रूप से सीमांकन को आक्षेपित करना चाहते हैं, जो कि विधिक कार्यवाही नहीं ठहराई जा सकती है । इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि आवेदकगण द्वारा सीमांकन आदेश दिनांक 16–6–2008 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जो कि दिनांक 20–8–2013 को आदेश पारित कर निरस्त की जा चुकी है, इस कारण भी तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण मंगाये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–8–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में पुनर्विलोकन

लंबित है, क्योंकि पुनर्विलोकन लंबित रहने मात्र से इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–8–2013 अवैधानिक अथवा अनियमित नहीं ठहराया जा सकता है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–2–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर